

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर

पीठासीन अधिकारी:- नेहा गिरि, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, धौलपुर

विविध प्रार्थना पत्र नम्बर(मुकदमा नम्बर):- 19/2018 (RCMS No. 2018/00046)

उनवान:-

1. सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर.....प्रार्थी

बनाम

1. ल्हौरे पुत्र परसा जाति जाटव निवासी चिलाखुर तहसील बसेडी जिला धौलपुर (फौत)

वारिशान

- 1/1. गोपाल पुत्र ल्हौरे
- 1/2 धारा सिंह पुत्र ल्हौरे
- 1/3 रामेश्वर पुत्र ल्हौरे
- 1/4 किन्नो वेवा ल्हौरे
- 1/5 कला पुत्री ल्हौरे
- 1/6 रामदुलारी पुत्री
- 1/7 सूखी पुत्री ल्हौरे
- 1/8 प्यारी पुत्री ल्हौरे जातिगण जाटव निवासीगण चिलाखुर तहसील बसेडी

जिला धौलपुर —————अप्रार्थीगण ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 99 व 103 राज0 सह0 सोसायटी अधिनियम 2001 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक में रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत ।

उपस्थिति:-

प्रार्थी की ओर से:- प्रतिनिधि सहकारी भूमि विकास बैंक

निर्णय दिनांक:- 13.8.2019

निर्णय

प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 1/1 व 1/2 द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नही करने

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर



के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान में 566700/-रूपये की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया अवधि पार राशि की वसूली हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नहीं हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नहीं हो पा रही है। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत जो सम्पत्ति क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सके उस सम्पत्ति को सम्बन्धित संस्था की सहमति पर सम्बन्धित संस्था को अन्तरण करने के अधिकार जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त किये गये है। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के अनुसार अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत आदतन ऋण अदा नहीं करने वाले अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि यदि अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस की तामील विधिवत् रूप से कराई गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नोटिस दिनांक 7.4.2009, डिक्री आदेश 29.5.2009, निष्पादन आदेश दिनांक 10.6.2009, मॉग का नोटिस 15.12.2019, 17.5.2012, 17.2.2015, 18.11.2015, 22.1.2016, 19.2.2016, 11.1.2017 विक्रय की उदघोषणा दिनांक 27.3.2014, 21.12.2015, 25.1.2016, 25.2.2016, 3.5.2017, कृषि नीलामी सूचना 21.6.2011, 19.2.2013, 3.6.2017, रहननामा दिनांक 19.2.2007, जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम चिलाखुर वाके ग्राम चिलाखुर तहसील बसेडी पेश की।

Subit
चेन्न गिरि
जिला कलक्टर धोलपुर



प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। बैंक के प्रतिनिधि ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान में 763832/- रूपये (जिसमें से अवधि पार असल 305000/-रूपये, ब्याज 353503/-रूपये, द0 ब्याज 54824/- रूपये वसूली व्यय 50505/-रूपये) की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया राशि की वसूली हेतु अप्रार्थीगण को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के नियम 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नहीं हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नहीं हो पाई। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओं के अभाव में नहीं बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व नियम 99 के अनुसार प्रार्थी अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी खसरा नम्बर 646/855 रकवा 8.00 बीघा पूर्ण भाग आराजी खसरा नम्बर 384 रकवा 0.03 विस्वा 396 रकवा 1.06 विस्वा, 399 रकवा 0.12 विस्वा, कुल किता 3 कुल रकवा 2.01 बीघा हिस्सा 1/3 भाग आराजी खसरा नम्बर 321 रकवा 0.02 विस्वा, 338 रकवा 0.16 विस्वा कुल किता 2 रकवा 0.08 विस्वा हिस्सा 17/21 कुल रकवा 10 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम चिलाखुर तहसील बसेडी जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओं के अभाव में नहीं बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थी सचिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के प्रतिनिधि की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक ऋण की बकाया राशि 763832/- रूपये जमा नहीं करवाई गई है। तथा अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 384 रकवा 0.03 विस्वा 396 रकवा 1.06 विस्वा, 399 रकवा 0.12 विस्वा, कुल किता 3 कुल रकवा 2.01 बीघा हिस्सा 1/3 भाग आराजी खसरा नम्बर 321 रकवा 0.02 विस्वा, 338 रकवा 0.16 विस्वा कुल किता 2 रकवा 0.08 विस्वा हिस्सा 17/21 कुल रकवा 10 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम चिलाखुर तहसील बसेडी जरिये नीलामी 3-4 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गई किन्तु क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति नहीं बेची जा सकी है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को बैंक की उक्त राशि जमा कराने हेतु नोटिस

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर



जारी किया गया। नोटिस की विधिवत् तामील अप्रार्थीगण पर करवाई गई किन्तु बावजूद तामील नोटिस अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा नहीं करवाई और ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया।

अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त रहन शुदा आराजी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के पक्ष में अन्तरित (Transfer) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि नियमानुसार अप्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित (Transfer) किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



13/8/19
(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर, धौलपुर